परिपत्र सं0–डीजी– 9/2014

रिज़वान अहमद,
आई0पी0एस0

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

दिनांकः लखनऊः फरवरी 12, 2014

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा एवं एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है । स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता हेतु सूचना संकलन एक चुनौतीपूर्ण कार्य है । समाज के समक्ष सत्य उजागर करना पुलिस एवं पत्रकार दोनों का संयुक्त ध्येय है । इस प्रयोजन हेतु दोनों को आपसी सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए जिससे समाज का हित हो सके ।

किसी मीडिया कर्मी को यदि उसके विरूद्ध होने वाली किसी आपराधिक घटना या उत्पीड़न का अंदेशा हो और वह इसकी सूचना पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को देता है तो हमारा दायित्व है कि हम पुलिस कर्मी उक्त सूचना की गहनता से छानबीन करें तथा यदि आवश्यक हो तो निरोधात्मक कार्यवाही करें । जिससे कि अनहोनी घटना टाली जा सके ।

उपरोक्त परिस्थिति के अतिरिक्त, यदि किसी मीडिया कर्मी के साथ कोई हमला/उत्पीड़न/आपराधिक घटना घटित होने की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है कि वह तत्परता से विधिक कार्यवाही करें तथा मीडिया कर्मी को पूर्ण सहयोग एवं सुरक्षा प्रदान करें ।

समाज में शान्ति सुरक्षा की भावना बनी रहे, इसके लिये हम पुलिसजन थाने स्तर पर जनता के सक्रिय, जागरूक एवं शान्ति प्रिय नागरिकों का चयन कर शान्ति समितियों का गठन करते है तथा समय–समय पर उनके बहूमूल्य सुझाव लेते है जिससे समाज/क्षेत्र में अमन चैन बना रहे । मान्यता प्राप्त पत्रकार एक बुद्धिजीवी वर्ग है तथा जनता की अपेक्षाओं से वाकिफ होते हैं और हमें लाभप्रद जनउपयोगी सुझाव दे सकते हैं । अतः इन्हें उक्त शान्ति समितियों में सम्मिलित किया जाये तो हम अपने अपराध नियंत्रण, शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य को और अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं ।

साथ ही साथ आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि पत्रकारिता जैसे पवित्र व्यवसाय की आड़ में कुछ लोग गैरकानूनी कार्य करते हैं तथा अपने व्यवसायिक लाभ हेतु फर्जी प्रेस (शब्द) लिखकर उसका दुरूपयोग करते हैं । ऐसे असामजिक तत्वों से दृढ़ता से निपटा जाये तथा उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाये ।

भवदीय,

12/2/14

(रिज़वान अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
2– परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0 ।